न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–55 सन् 2016

अमरनाथ पाण्डेय.....वादी।

बनाम

राधव प्रसाद सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 02.08.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 14.07.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद वादीगण ने वास्ते डिकलेरेशन प्रतिवादी पर दायर किया है। उक्त वाद में प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं। मोकदमा हाजा के प्रतिवादी सं0 03 इन्द्रदेव सिंह की मृत्यु बदौरान मोकदमा हो गई। प्रतिवादी सं0 03 की मृत्यु की तिथि की सूचना वादी को प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी सं0 03 की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दिया जाए। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0 03 का नाम कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को कलमबद्ध करने की अनुमति प्रदान किया जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाइट करने का आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 के रूप में इन्द्रदेव सिंह की मृत्यृ हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके जायज वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है तथा

प्रतिवादी सं0 03 की मृत्यु की वर्ष 2021 लिखा गया है दिन वो माह वादी ने अपने आवेदन में नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सं0 03 की मृत्यु की जानकारी नहीं दी गई है और आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके वारिसानों को कलमबद्ध करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत(बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक ..... को प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ
सोनपुर सारण।